रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 364] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 1972/श्रावण 14, 1894
No. 364] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1972/SRAVANA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August 1972

S.O. 521(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby exempts all non-transferable specific delivery contracts entered into by the Government of Maharashtra or by any person or agency duly appointed in that behalf by it, for the purchase or sale of cotton from the operation of section 15 of the said Act in the whole of India.

[No. F. 10(8)-IT/72.]

K. BALACHANDRAN, Addl. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय
(आन्तरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1972

का० आ० 531(अ).—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार या इसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति या अभिकरण द्वारा कपास के क्रय या विक्रय के लिये की गयी सभी अनन्तरणीय विनिर्दिष्ट परिदान संविदाओं को उक्त अधिनियम की धारा 15 की प्रवर्तन से सम्पूर्ण भारत में एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० फा० 10(8)-आई० टी०/72]

के० बालचन्द्रन, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972